पुलिस प्रशासन और लोगों के अधिकार

पुलिस प्रशासन और लोगों के अधिकार

॥ पैरवी ॥

पुलिस प्रशासन और लोगों के अधिकार

अगस्त 2017

लेखकः शम्स विकास
संपादनः दीनबंधु वत्स
मार्गदर्शनः अजय झा

आवरण रेखाचित्रः साविओ मस्कारेन्हस
भीतरी चित्रः google.com
आवरण व स्वरूपः रजनीश

प्रकाशकः पैरवी
ई-46, उच्च आधार तल, लाजपत नगर-3, नई दिल्ली-110024
दूरभाषः 011&29841266, 65151897
ईमेलः pairvidelhi1@gmail-com, info@pairvi-org
वेबसाइटः www-pairvi-org | ब्लॉगः pairvi-blogspot-in

इस पुस्तक में वर्णित सामग्री या किसी अंश का प्रचार-प्रसार की दृष्टि से स्रोत का उल्लेख करते हुए इस्तेमाल करने, पुनर्प्रकाशित करने हेतु आप स्वतंत्र हैं।

विषय-सूची

क्र.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	01
2.	पहला अध्यायः मौलिक अधिकार	03
3.	दूसरा अध्यायः प्रथम सूचना रिपोर्ट	19
4.	तीसरा अध्यायः पुलिस विवेचना	25
5.	चौथा अध्यायः गिरफ्तारी	31
6.	पाँचवां अध्यायः जमानत और बंधपत्र	39
7.	छठवां अध्यायः पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ उपचार	45
8.	सातवां अध्यायः अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को प्राप्त कानूनी अधिकार	53
9.	आठवां अध्यायः बंदियों के अधिकार	59
10.	नवां अध्यायः महिलाओं को प्राप्त कानूनी अधिकार	63

भूमिका

राज्य में उसके नागरिक किन क़ानूनों से संचालित होंगे यह राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। भारत में संसद और राज्यों की विधायिकाएं क़ानून बनाती हैं और इन क़ानूनों को अपनी विभिन्न एजेंसियों से लागू कराती हैं। राज्य के नागरिकों का भी यह दायित्व है कि वे इन क़ानूनों को मानें लेकिन ऐसा नहीं है कि संसद और विधायिकाओं को क़ानून बनाने की असीमित शक्ति मिली हुई है। संसद और विधानसभा भारत के संविधान के विरुद्ध जाकर कोई क़ानून नहीं बना सकतीं। भारत के संविधान में राज्य के संचालन का एक पूरा ख़ाका तैयार किया गया है। इसी संविधान के तहत नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को संविधान ने यह अधिकार दिया है कि वह संसद और विधान सभाओं द्वारा बनाए क़ानूनों, राज्य की विभिन्न संस्थाओं और उसके अधिकारियों के कार्यों की मौलिक अधिकारों की कसौटी पर समीक्षा करे और मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण पाए जाने पर उसे अवैध घोषित करके रद्द करे।

भारत की फौजदारी और दीवानी न्याय प्रणाली औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों की बनाई हुई है जिसमें बिना किसी ख़ास बदलाव के सांवैधानिक जामा पहनाकर काम चलाया जा रहा है। अंग्रेजों ने भारत की जनता को नियंत्रित करने और आज़ादी के आंदोलनों का दमन करने के लिए अदालतों से ज़्यादा पुलिस तंत्र और प्रशासनिक तंत्र को मज़बूत करते हुए बेलगाम अधिकारों से लैस किया। आज़ादी के बाद भी पुलिस और प्रशासनिक तंत्र को सांवैधानिक जामा पहनाया गया लेकिन न तो इन दोनों तंत्रों की सांवैधानिक जवाबदेही तय की गई और न ही कोई ऐसा मज़बूत जनसुलभ तंत्र तैयार किया गया जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के अपने पद के दुरुपयोग पर रोज़-ब-रोज़ नियंत्रण रख सके और उन्हें दण्डित कर सके। आम आदमी को केवल शिकायत करने और अपील करने का अधिकार दिया गया है। शिकायत और अपील के बारे में भी इस देश में कुछ लोग ही जानते हैं और जो लोग जानते भी हैं उनमें से कुछ

गिने-चुने लोग ही शिकायत करने का साहस जुटा पाते हैं। शिकायत होने पर पूरा तंत्र आरोपी अधिकारी के बचाव की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। पूरा न्याय तंत्र जिस तरह का बनाया गया है उसमें आम आदमी को न्याय मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट कहा जा सकता है न्याय की डगर कठिन है। फिर भी न्याय देने का जो तंत्र खड़ा किया गया है उसमें भी आम जन को कुछ अधिकार मिले हैं जिसके आधार पर न्याय के लिए लड़ा जा सकता है और कुछ राहत पाई जा सकती है, बशर्ते कि क़ानूनी प्रक्रिया की सही जानकारी हो। ज़्यादातर मामलों में न्याय और अन्याय से परे अदालतों में वही लोग सफल हो पाते हैं जो क़ानूनी दांव-पेचों में माहिर होते हैं।

हालाँकि यह प्रक्रिया जानने के लिए वकील होने की आवश्यकता नहीं है और सामान्य लोग भी यह जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस पुस्तक में संक्षेप में ही उन अधिकारों को संकलित करने का प्रयास किया गया है जिनको भारत का संविधान और अन्य क़ानून मान्यता देते हैं और उनके संरक्षण का दावा करते हैं। क़ानूनों के बेहतर ज्ञान और इस्तेमाल से हर बार तो नहीं लेकिन कई बार हम न्याय पाने या दिलाने में कामयाब हो जाते हैं।

इस पुस्तक के संकलन के लिए मैं इलाहबाद उच्च न्यायलय के अधिवक्ता शम्स विकास के प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने कठिन क़ानूनी शब्दों से इतर सरल और सहज शब्दों में संकलित किया है। आशा करता हूँ कि इनका यह प्रयास सामाजिक कार्यकर्ताओं और न्याय पथिकों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगा।

अजय झा
पैरवी, नई दिल्ली

पहला अध्याय

मौलिक अधिकार

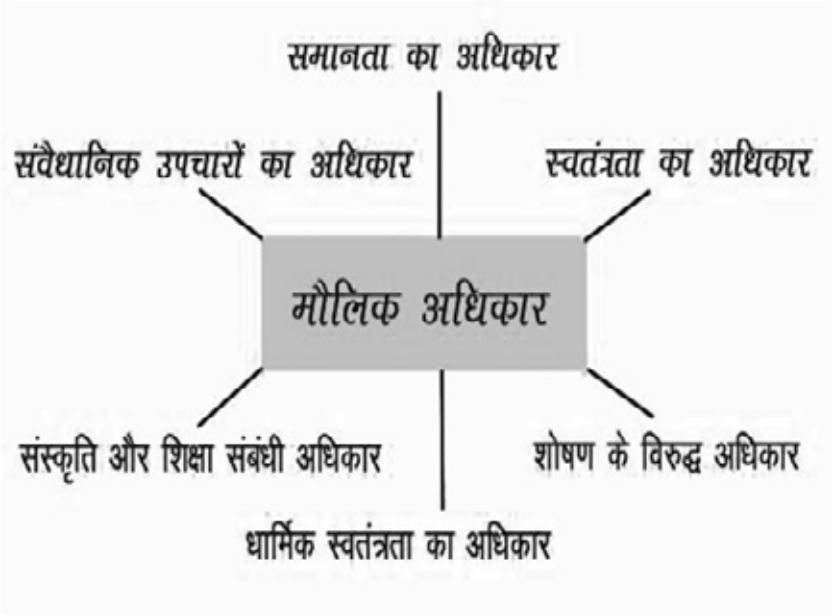
समानता का अधिकार
संवैधानिक उपचारों का अधिकार
स्वतंत्रता का अधिकार
मौलिक अधिकार
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
शोषण के विरुद्ध अधिकार
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

मूल अधिकार, एक नागरिक के वह अधिकार होते हैं जिनके बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह अधिकार मनुष्य को उसके प्राणिमात्र होने के कारण मिले हुए हैं और एक नागरिक के स्वतंत्र, बौद्धिक और नैसर्गिक विकास के लिए आवश्यक हैं। इन अधिकारों को संविधान में जगह इसलिए दी गई है ताकि इनको पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सके। एम. नागराज बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 2007 के मामले में मूल अधिकारों के बारे में टिप्पणी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि *'मूल अधिकारों को राज्य ने नागरिकों को दान में नहीं दिया है। संविधान मूल अधिकार प्रदान नहीं करता बल्कि इस बात की पुष्टि करता है कि उनका अस्तित्व है और उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। किसी संविधान के बिना भी मनुष्य को मूल अधिकार प्राप्त हैं और यह अधिकार उन्हें मनुष्य वर्ग के सदस्य होने के कारण प्राप्त हैं।'*

राज्य की यह ज़िम्मेदारी है कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करे और उनको संरक्षण दे। राज्य कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो वह मूल अधिकारों का अतिक्रमण या उल्लंघन नहीं कर सकता। संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायलय को तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य या उसका कोई अंग या प्राधिकारी अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन या अतिक्रमण करता है तो वे उसे अवैध घोषित करें। सर्वोच्च न्यायायलय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह कहा है कि राज्य का प्राथमिक और नैतिक कर्तव्य है कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की हर हालत में रक्षा करे।

भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों के बारे में विस्तार से दिया गया है –

1. अनुच्छेद 12 - परिभाषा

इस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य सरकार

और विधान मंडल तथा भारत सरकार या राज्यों के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं।

2. अनुच्छेद 13 - मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ

- इस अनुच्छेद के तहत संविधान लागू होने के बाद से भारत में प्रचलित उन सभी क़ानूनों को शून्य घोषित कर दिया गया जो संविधान के अनुरूप नहीं थे।
- इस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनती हो या उनका अतिक्रमण करती हो।

3. अनुच्छेद 14 - विधि के समक्ष समता

- इस अनुच्छेद के तहत भारत के सभी नागरिकों की विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण की गारंटी की गई है।

मेनका गाँधी बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 507 में जस्टिस भगवती ने इस अनुच्छेद के बारे में कहा है कि *'समता एक गतिशील अवधारणा है जिसके अनेक रूप और आयाम हैं। इसे किसी परंपरागत परिधि में नहीं बांधा जा सकता है। अनुच्छेद 14 की कार्यवाहियों में मनमानेपन को वर्जित करके समानता को सुनिश्चित किया गया है।'*

इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 1628 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि *'यह बात पूरी तरह से स्थापित है की अनुच्छेद 14 पूरी तरह से मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है क्योंकि जो काम मनमाना है वह निश्चित तौर से समता के विरुद्ध है।'*

4. अनुच्छेद 15 - धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध

इस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि-

- राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
- किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों, और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश तथा साधारण जनता को समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग से नहीं रोका जा सकता है।

5. अनुच्छेद 16 - लोक नियोजक के विषय में अवसर की समता

- राज्य अपने अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बंधित मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगा।
- राज्य सरकारी नियुक्ति के मामले में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
- इस अनुच्छेद के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य उन पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में आरक्षण का उपबंध कर सकती है जिनका कि प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है।

6. अनुच्छेद 17 - अस्पृश्यता का अंत

अस्पृश्यता यानि छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए ही संसद ने अनुच्छेद 17 और 35 के तहत् सन् 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया। इस क़ानून के माध्यम से छुआछूत को अपराध घोषित करते हुए दंड का प्रावधान किया गया।

पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स की ओर से दाख़िल एक याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्य का कर्तव्य है की वह इस अनुच्छेद के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

स्वतंत्रता का अधिकार

7. अनुच्छेद 19 - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण

इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है –

- विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मलेन करने की स्वंत्रता
- संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता
- भारत के राज्यक्षेत्र में अबाध विचरण की स्वतंत्रता
- भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता
- व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता

इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि राज्य विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, मानहानि, या अपराध-उद्दीपन को दृष्टिगत रखते हुए उचित प्रतिबन्ध लगा सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में स्पष्ट किया है कि राज्य मनमाने ढंग से विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगा सकता क्योंकि लोकतंत्र बिना विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जीवित नहीं रह सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तब तक रोक नहीं लगाई जा सकती जब तक इस अधिकार के प्रयोग से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था पर वास्तविक ख़तरा उत्पन्न न हो जाए।

8. अनुच्छेद 20 - अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

- किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने किसी विधि के तहत अपराध न किया हो।
- किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दण्डित नहीं किया जा सकता है।

- किसी भी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

9. अनुच्छेद 21 - प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं।

अनुच्छेद 21 की भाषा पढ़ने में भले नकारात्मक महसूस होती है लेकिन यह अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रताओं के साथ सभी प्रकार के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी करता है। इन अधिकारों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है।

प्राण

प्राण का अर्थ केवल जैविक अस्तित्व से नहीं है। प्राण का अर्थ जैविक अस्तित्व के साथ-साथ उन तमाम अधिकारों से भी है जिसके बग़ैर मानव के सामाजिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

मेनका गाँधी बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 597 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 को विस्तृत आयाम देते हुए कहा कि *'प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें मानव जीवन के साथ उसकी गरिमा भी शामिल है।'*

फ्रांसिस कोरेली बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 746 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गाँधी के मामले में दिए गए निर्णय का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि *'अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण से तात्पर्य पशुवत जीवन से नहीं वरन् मानव जीवन से है। इसका भौतिक अस्तित्व ही नहीं है बल्कि इसका मानवीय अस्तित्व भी है। प्राण का अधिकार केवल शरीर के अंगो की रक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें मानव गरिमा के साथ-साथ मानव जीवन से जुड़े वे तमाम पहलू भी शामिल हैं जो मानव जीवन को पूर्ण बनाते हैं।'*

मेनका गाँधी के ही केस में दिए गए निर्णय का अनुसरण करते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ

के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि एशियाड खेलों की विभिन्न योजनाओं में कार्यरत मज़दूरों की न्यूनतम मज़दूरी का भुगतान न करना अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त उनके मानव गरिमा के साथ जीवकोपार्जन के अधिकार का उल्लंघन करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विभिन्न श्रम विधियों के अधीन कर्मकारों को प्रद्दत अधिकार और सुविधाएँ मानव गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए प्रदान किए गए हैं और इनसे उन्हें वंचित कर दिया जाता है तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।

अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शंकर गौरी बनाम भारत संघ जे.टी. 1994 एस.सी. 634 में कहा कि *'फुटपाथ पर अतिक्रमण करना एक अवैधानिक कृत्य है लेकिन राज्य और नगर निगमों की यह सांवैधानिक ज़िम्मेदारी है कि ग़रीब और कमज़ोर तबके के लोग, जो फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर हैं, उनको आवास उपलब्ध कराए।'*

हुसैनारा ख़ातून बनाम गृह सचिव ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 1377 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अभियुक्त ग़रीब है और अपनी प्रतिरक्षा में वकील रखने में असक्षम है तो ऐसे व्यक्ति को तत्काल मुफ़्त क़ानूनी सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है।

पश्चिम बंगाल खेत मज़दूर सोसाईटी बनाम पश्चिम बंगाल ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 2426 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि *'अगर सरकारी अस्पतालों में किसी मरीज़ को सही समय पर इलाज नहीं मिलता तो यह उस मरीज़ के सांवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।'*

पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम बिहार राज्य ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 355 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसानों पर पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज को अवैध करार देते हुए लाठीचार्ज में मारे गए और घायल किसानों को मुआवज़ा देने का आदेश पारित किया।

स्वतंत्रता

इस अनुच्छेद के तहत जीवन के साथ-साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी

गारंटी की गई है। राज्य किसी भी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बिना किसी उचित कारण के रोक नहीं लगा सकती।

10 अनुच्छेद 21(क) - बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान

संविधान के 86 वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 के बाद एक नया अनुच्छेद 21 (क) जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 21 का यह प्रावधान कहता है कि *'राज्य ऐसी रीति से, जैसे कि विधि बनाकर, निर्धारित करे कि छः वर्ष की आयु से चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी।'*

11 अनुच्छेद 22 - कुछ परिस्थितियों में गिरफ़्तारी और निरोध से संरक्षण

- किसी व्यक्ति को - जो गिरफ्तार किया गया है, उसे - गिरफ़्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बग़ैर अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा।
- गिरफ़्तार व्यक्ति को अपनी रुचि के अधिवक्ता से परामर्ष करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा।
- गिरफ़्तार व्यक्ति को गिरफ़्तारी से चौबीस घंटे के अन्दर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

12 अनुच्छेद 23 - मानव के दुर्व्यापार और बलात्-श्रम का प्रतिषेध

- इस अनुच्देद के तहत मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा किसी प्रकार का बलात्-श्रम प्रतिबंधित किया गया है।

एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 699 में सुप्रीम कोर्ट ने बालश्रम पर दिशा-निर्देश जारी करते हुए इस पर रोक लगा दी।

13 अनुच्छेद 24 - कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

- इस अनुच्छेद के तहत चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम कराने पर रोक लगाई गई है।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

14 अनुच्छेद 25 - अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता

सभी व्यक्तियों को लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य कारणों के अधीन रहते हुए अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी।

15 अनुच्छेद 26 - धार्मिक कार्यो के प्रबंध की स्वतंत्रता

इस अनुच्छेद के तहत लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य कारणों के अधीन रहते हुए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, धार्मिक विषयों का प्रबंध करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

16 अनुच्छेद 27 - किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता

इस अनुच्छेद के तहत धार्मिक कार्यो के लिए प्राप्त पैसे में से कर का भुगतान करने की बाध्यता से छूट प्रदान की गई है।

17 अनुच्छेद 28 - कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता

इस अनुच्छेद के तहत निम्नलिखित चीजों के बारे में प्रावधान किया गया है –

- राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
- धार्मिक शिक्षा उस न्यास के अधीन स्थापित शिक्षा संस्था में दी

जा सकती है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है भले उसका प्रबंधन राज्य सरकार ही क्यों न कर रही हो।

- राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त या राज्यनिधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

18 अनुच्छेद 29 - अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

इस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के हितों का संरक्षण किया गया है, जिसके तहत–

- भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर वंचित नहीं रखा जा सकता है।

19 अनुच्छेद 30 - शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

इस अनुच्छेद के तहत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है।

संविधानिक उपचारों का अधिकार

20 अनुच्छेद 32 - संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए उपचार

इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति मौलिक

अधिकारों को लागू कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर सकता है। इस धारा के तहत यह प्रावधान है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो आप सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा ठकठका सकते हैं।

उत्प्रेषण लेख

इस आदेश के तहत पहले से जारी किसी भी आदेश को अवैध ठहरा कर निरस्त कर दिया जाता है। अगर कोई संस्था लोगों के अधिकारों व कर्तव्यों को तय करने में अपनी सीमा को लांघ जाए तो यह आदेश उस संस्था द्वारा लिए गए निर्णय को निरस्त कर सकता है।

परमादेश लेख

इस आदेश के तहत अदालत किसी भी सरकारी संस्था को कुछ करने के लिए बाध्य कर सकती है। उस संस्था के पास विवेकाधिकार होने के बावजूद अदालत उसे अपने अधिकारों का न्यायसंगत इस्तेमाल करने के लिए बाध्य कर सकती है। कई बार उत्प्रेषण लेख व परमादेश लेख एक साथ जारी किए जाते हैं। पहले उत्प्रेषण लेख से उस संस्था द्वारा जारी किए गए आदेश को निरस्त करने के लिए फिर परमादेश लेख द्वारा न्यायपूर्ण ढंग से निपटने के लिए बाध्य करने के लिए।

प्रतिषेध लेख

यह लेख किसी भी प्रकार की अवैध कार्यवाही को तुरन्त रोकता है। किसी भी प्रस्तावित निर्णय को लिए जाने से या उस पर अमल करने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल पहले से चल रहे मुकदमों को रोकने के लिए भी किया जा सकता है।

बंदी-प्रत्यक्षीकरण लेख

यह उन लोगों के लिए है जिनकी आज़ादी बिना किसी कारण के छीन ली गई हो। यह आदेश संबंधित संस्था को उस व्यक्ति को स्वतंत्र करने या अदालत में प्रस्तुत करने को बाध्य कर सकती है।

अधिकारपृच्छा लेख

यह लेख किसी भी सरकारी पद के अधिकारों को तय करने में मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से वह पद ग्रहण कर लेता है तो उसे वहाँ से हटाने का आदेश जारी किया जा सकता है। यह लेख सिर्फ उन सरकारी पदों पर लागू हो सकता है जिनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए गए हों।

21 अनुच्छेद 33 - संसद को मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों के मामले में उपांतरित करने का अधिकार

संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह सशस्त्र बलों के सदस्यों या ऐसे बलों के बारे में जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने की ज़िम्मेदारी दी गई है और इंटेलिजेंस ब्यूरो के सदस्यों के मौलिक अधिकारों की सीमा के बारे में क़ानून बनाए जिससे कि उनके कर्तव्य का उचित पालन और उनमे अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे।

जनहित याचिका

जनहित याचिका ग़रीब, अनपढ़ या सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। हमारी न्याय व्यवस्था इतनी जटिल व महंगी है कि ग़रीब या कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति समय पर न्याय पाने से वंचित रह जाता है। देश की अधिकांश जनता निर्धन, असहाय और अशिक्षित होने के कारण यह कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी आबादी पूरी न्याय प्रणाली से वंचित रह जाती है। ऐसे में सामाजिक न्याय, मानव अधिकार एवं लोक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए जनहित याचिका एक महत्वपूर्ण पहल है। जनहित याचिका में 'जनहित' का होना अनिवार्य है। ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे एडवोकेसी संगठनों के लिए यह एक वरदान की तरह है। इसका इस्तेमाल वे अपने अहिंसात्मक संघर्षों में लोगों को क़ानूनी न्याय दिलाने में सफलतापूर्वक कर सकते हैं।

जनहित याचिका का प्रयोग कब करें

- जब राज्य या सरकार की लापरवाही, चूक या अन्यायपूर्ण हरकत की वजह से कोई सार्वजनिक क्षति या नुकसान पहुँचा हो।
- जब किसी व्यक्ति विशेष, समूह या समुदाय के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो।
- लेकिन इसका इस्तेमाल कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं कर सकता है।

जनहित याचिका कौन दायर कर सकता है

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अथवा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में ग़रीब, वंचित व कमज़ोर वर्ग की ओर से कोई भी व्यक्ति, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार या स्वैच्छिक संगठन जनहित में यह याचिका दायर कर सकता है बशर्ते कि–

- वह ख़ुद प्रभावित हो
- वह सद्भाव से निष्कपट होकर सार्वजनिक क्षति या नुक़सान को दूर करने के लिए प्रयासरत हो
- वह कोई बिचौलिया या दलाल न हो
- उसका कोई निहित स्वार्थ या निजी फ़ायदा न हो

जनहित याचिका कैसे दायर करें

- संबंधित अदालत के मुख्य न्यायाधीश को पंजीकृत डाक द्वारा पत्र भेजकर जिसमें मामले का तथ्यों व दस्तावेजों के साथ पूरा विवरण हो
- मुफ़्त क़ानूनी सेवा समिति की मदद से अदालत में सीधे जनहित याचिका दायर कर सकते हैं
- किसी जनहित याचिका वकील की मदद से
- किसी ग़ैर-सरकारी संगठन, स्वैच्छिक संगठन या जनहित याचिका संस्थाओं की मदद लेकर

इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय ने एक साधारण पोस्टकार्ड को भी जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया है। हालांकि कई न्यायधीश पत्रों और अख़बार की ख़बरों को भी जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लेते हैं पर अच्छा यह रहता है कि याचिका को अपेक्षित प्रारूप अनुसार ही दायर किया जाए।

जनहित याचिका दायर करते वक्त ध्यान रखें

1. क़ानूनी पहलुओं के बारे में प्रभावित लोगों के साथ अच्छी तरह से विचार-विमर्श कर लिया जाए
2. यह पता कर लें कि मौलिक अधिकारों का हनन हुआ भी है या नहीं, अगर हुआ है तो किन अधिकारों का
3. लोगों को यह तय करने में मदद करें कि क़ानूनी कार्यवाही क्यों ज़रूरी है- अपने अधिकारों की रक्षा के लिए या उनके उल्लंघन को रोकने के लिए
4. याचिका में सारे तथ्य, आंकड़े, तिथि व विवरण पूर्ण रूप से व क्रमबद्ध तरीके से दिया जाना चाहिए
5. यह निश्चित व स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि लोग किस तरह की राहत चाह रहे हैं
6. अगर संभव हो तो सारे प्रभावित लोगों के हस्ताक्षर ले लें
7. मुद्दे से संबंधित सारे उपलब्ध दस्तावेजों, अख़बार में छपी ख़बरें, तस्वीरें, जाँच रिपोर्ट, प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र को एकत्रित कर उन्हें याचिका के साथ संलग्न करें
8. अपने साथ सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि सम्हाल कर रखें ताकि अदालत द्वारा पूछे जाने पर दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जा सके
9. याचिका में सरल भाषा का प्रयोग करें व संक्षिप्त में लिखें
10. अगर संभव हो तो याचिका दायर करने से पहले किसी अच्छे वकील या स्थानीय क़ानूनी सहायता संस्था के साथ परामर्ष कर लें
11. आप अपनी याचिका चाहें तो पंजीकृत डाक से अपने उच्च न्यायालय की उच्च न्यायालय क़ानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष को

या फिर अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय क़ानूनी सेवा समिति, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली - 110001 के पते पर भेजें।

दूसरा अध्याय

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़.आई.आर.)

FIR

प्रथम सूचना रिपोर्ट वह रिपोर्ट होती है जो पुलिस किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में थाने में दर्ज करती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़ित या कोई अन्य व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी हो थाने में दर्ज करा सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना प्रभारी को लिखित प्रार्थना-पत्र देकर या मौखिक रूप से बोलकर दर्ज कराई जा सकती है। यदि सूचना मौखिक रूप से दी गई है तो थाना प्रभारी उस सूचना को स्वयं लेखबद्ध करेगा या अपने निर्देशन में लेखबद्ध कराएगा और सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाएगा। प्रत्येक सूचना जो मौखिक रूप से दी गई हो या लिखित रूप से दी गई हो उसे दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी सूचनादाता से हस्ताक्षर कराएगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए दिए जा रहे प्रार्थना-पत्र में घटना का संक्षिप्त वर्णन होना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी दर्ज करानी चाहिए। अगर किसी कारण से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी होती है तो देरी का कारण भी प्रार्थना-पत्र में लिखना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस सूचनाकर्ता या शिकायकर्ता को प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति निःशुल्क प्रदान करती है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवश्यक विवरण

- घटना का संक्षिप्त वर्णन
- आरोपी का नाम और पता (यदि संभव हो तो)
- घटना का समय और स्थान
- यदि घटना में किसी प्रकार की चोटें आई हों तो उसका विवरण
- यदि किसी संपत्ति का नुकसान हुआ हो तो उसका विवरण
- दंड प्रकिया संहिता की धारा 154 में प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिभाषा दी गई है।

मानवाधिकार हनन के कुछ विशिष्ट और गंभीर मामलों में जिनसे कि व्यापक सामाजिक सरोकार जुड़ा होता है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दे सकती है।

धारा 154 - संज्ञेय मामलों की सूचना

- संज्ञेय अपराध किए जाने से सम्बन्धित प्रत्येक सूचना यदि थाने के प्रभारी अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निर्देशन में लेखबद्ध की जाएगी व सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी सूचना पर, चाहे वह लिखित रूप से दी गई हो या लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे रहा है।
- उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित सूचना की प्रतिलिपि सूचनादाता को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी।

संज्ञेय अपराध उन अपराधों को कहते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराधों की सूची दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में दी गई है। सभी गंभीर प्रकृति के अपराध संज्ञेय अपराधों की सूची में आते हैं, जैसे कि- हत्या, बलात्कार, लूट, चोरी, अपहरण, दहेज उत्पीड़न आदि।

कानूनी तौर से पुलिस संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करने के लिए बाध्य है। अगर पुलिस सूचना दर्ज नहीं करती है तो पीड़ित व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक को लिखित रूप से डाक द्वारा सूचना देनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक को यह अधिकार होता है कि ऐसी सूचना पर या तो वह स्वयं विवेचना करे या अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी से विवेचना कराए।

पीड़ित व्यक्ति पुलिस अधीक्षक को डाक द्वारा सूचना देने के अलावा स्वयं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर शिकायत कर सकता है। अगर पुलिस अधीक्षक भी मुकदमा दर्ज न करे तो पीड़ित अदालत के माध्यम से प्रथम सूचना दर्ज करा सकता है। अदालत के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पीड़ित को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत निचली अदालत में दरख़्वास्त देनी पड़ती है।

धारा 156 (3) की दरख़्वास्त पर सुनवाई करने के बाद अदालत चाहे तो पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश दे सकती है या उस दरख़्वास्त को परिवाद के रूप में दर्ज कर अभियुक्त को सीधे अदालत में सम्मन करने के लिए पीड़ित को गवाह पेश करने का आदेश दे सकती है।

असंज्ञेय अपराध

असंज्ञेय अपराध वह अपराध होते हैं जिनमें पुलिस बिना अदालती वारंट के गिरफ़्तार नहीं कर सकती। असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में धमकी, छल, कूटरचना, मानहानि, अपमान जैसे अपराध आते हैं। अगर थाना प्रभारी को असंज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है तो थाना प्रभारी ऐसी सूचना का सार दर्ज करेगा और सूचना देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्देश देगा असंज्ञेय अपराधों की विवेचना पुलिस बिना अदालत के आदेश के नहीं करती है। असंज्ञेय अपराधों की विवेचना का आदेश प्राप्त करने के लिए पीड़ित व्यक्ति अदालत में प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

तीसरा अध्याय

पुलिस विवेचना

जांच

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर थाने का इंचार्ज अपराध की सूचना तत्काल न्यायायिक मजिस्ट्रेट, जिसके अंतर्गत वह थाना आता है, को देता है। थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की विवेचना करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता लगाने और उसकी गिरफ़्तारी के लिए थाना प्रभारी घटनास्थल पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारी में से किसी एक को भेजेगा (धारा 157)।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों देखते हुए थाना प्रभारी को अगर प्रतीत होता है कि विवेचना करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह मामले की विवेचना नहीं करेगा और इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करेगा। विवेचक अपराध और अपराध की परिस्थितियों की जाँच के लिए घटना से परिचित सभी व्यक्तियों को थाने पर पूछताछ के लिए बुला सकता है।

विवेचक घटना की जानकारी के लिए घटना से परिचित सभी व्यक्तियों से मौखिक पूछताछ करता है और उसे केस डायरी में दर्ज करता है (धारा 161)। पुलिस अधिकारी विवेचना में मौखिक पूछताछ के दौरान केस डायरी पर दर्ज बयानों पर किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं ले सकता (धारा 162)। बयान या सबूत देने के लिए पुलिस गवाह पर किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकती और न ही प्रलोभन दे सकती है (धारा 163)।

विवेचना के दौरान विवेचक अपराध से सम्बंधित सभी सबूतों को एकत्रित करता है। विवेचना के दौरान कोई भी गवाह या अभियुक्त दंड प्रकिया संहिता के अधीन अपना कथन स्वेच्क्षा से महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करा सकता है (धारा 164)।

बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के मामले में विवेचक द्वारा पीड़िता को चिकित्सीय जाँच हेतु सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाये जा रहे अस्पताल में 24 घंटे के भीतर भेजा जाएगा। चिकित्सीय जाँच से पहले पीड़िता की या पीड़िता की ओर से सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति ली जाएगी। जाँच के लिए सहमति प्राप्त होने पर महिला चिकित्सक द्वारा बिना किसी विलम्ब के पीड़िता के शरीर की परीक्षा की जाएगी।

पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी (धारा 165)

विवेचक के पास जब यह विश्वास करने का आधार होता है कि अपराध से सम्बंधित कोई सबूत उसके थाने की सीमाओं के अन्दर मौजूद है तो वह ऐसे आधारों को लेखबद्ध करके उस स्थान की तलाशी ले सकता है जहाँ वह अपराध से सम्बंधित वस्तु रखी है। यदि वह वस्तु किसी व्यक्ति के निवास स्थान पर रखी है तब उस स्थान पर निवास करने वाला व्यक्ति विवेचक की मांग पर या वारंट पेश किए जाने पर विवेचक को उस स्थान में अबाध प्रवेश करने देगा और तलाशी लेने के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा। विवेचक किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी भी ले सकता है। किसी स्त्री की तलाशी पूरी शिष्टता का ध्यान रखते हुए स्त्री द्वारा ही ली जाएगी। तलाशी से पूर्व विवेचक दो या दो से अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को तलाशी का गवाह बनाएगा। तलाशी में प्राप्त चीजों का अभिलेख तैयार कर उसकी प्रतियाँ तत्काल विवेचक द्वारा निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजी जाऐंगी।

24 घंटे के अन्दर विवेचना पूरी न करने की स्थिति में

किसी भी गिरफ़्तार व्यक्ति को पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के 24 घंटे से ज़्यादा (गिरफ़्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय छोड़कर) पुलिस अभिरक्षा में नहीं रख सकती। यदि 24 घंटे में विवेचना पूरी नहीं हो पा रही हो तब पुलिस अभियुक्त को केस डायरी सहित निकटम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। पुलिस अधिकारी द्वारा अभियुक्त को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम पंद्रह दिनों के लिए अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा प्रस्तुत आधारों पर संतुष्ट हो जाने पर अभियुक्त की अभिरक्षा पंद्रह दिनों से अधिक बढ़ा सकता है।

मृत्यु, आजीवन कारावास या कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराधों के मामले में मजिस्ट्रेट 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा प्राधिकृत नहीं कर सकता। अन्य अपराधों के मामले में मजिस्ट्रेट साठ दिनों से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा प्राधिकृत नहीं कर सकता। यदि विवेचना 90 या 60 दिनों में समाप्त नहीं होती है और अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है तो मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।

जब साक्ष्य अपर्याप्त हों तो अभियुक्त को छोड़ा जाना (धारा 169)

विवेचना के दौरान थाना प्रभारी को अगर ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध इतना पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए तो वह अभियुक्त को बंधपत्र निष्पादित करवाकर छोड़ सकता है। थाना प्रभारी इस शर्त के साथ अभियुक्त को छोड़ता है कि जब उससे अपेक्षा की जाएगी तब वह मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होगा।

जब साक्ष्य पर्याप्त हैं तब मामलों को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना (धारा 170)

विवेचना करने पर थाना प्रभारी को जब ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त सबूत हैं तब वह पुलिस रिपोर्ट के साथ अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करता है ताकि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लेकर अभियुक्त के ख़िलाफ़ ट्रायल शुरू कर सके। अगर अपराध जमानतीय है और अभियुक्त जमानत देने को तैयार है तो थाना प्रभारी अभियुक्त से मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने के लिए जमानत ले लेता है। यदि अभियुक्त के पास से किसी हथियार या वस्तु की बरामदगी हुई है तो उसे भी थाना प्रभारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। थाना प्रभारी शिकायतकर्ता और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों से न्यायालय में अभियुक्त के ख़िलाफ़ साक्ष्य देने के लिए बंधपत्र निष्पादित करवा सकता है। शिकायतकर्ता या साक्षी यदि बंधपत्र निष्पादित करने से इंकार करते हैं तब थानाप्रभारी उन्हें अभिरक्षा में लेकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता है। मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता या साक्षी को तब तक अभिरक्षा में रख सकता है जब तक शिकायतकर्ता या साक्षी बंधपत्र निष्पादित न कर दे। पुलिस शिकायतकर्ता या साक्षी को बंधपत्र के आलावा किसी भी अन्य बात के लिए उन्हें अवरुद्ध नहीं कर सकता और न ही कोई असुविधा पहुँचा सकता है।

विवेचना में कार्यवाहियों की डायरी (धारा 172)

विवेचक अपराध की विवेचना की कार्यवाहियों को दिन-प्रतिदिन एक डायरी में लिखता है। डायरी में विवेचक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि से विवेचना समाप्त होने की तिथि तक का पूरा विवरण लिखता है।

विवेचना समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट (धारा 173)

प्रत्येक विवेचना अनावश्यक विलम्ब के पूरी की जाती है। विवेचना समाप्त होने के बाद थाना प्रभारी पुलिस रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करता है। पुलिस रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। पुलिस रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें होती हैं-

क. पक्षकारों के नाम
ख. सूचना का स्वरूप
ग. गवाहों के नाम
घ. क्या कोई अपराध किया गया है, और किया गया है तो किसके द्वारा
ङ. क्या अभियुक्त गिरफ़्तार कर लिया गया है
च. क्या अभियुक्त अपने बंधपत्र पर छोड़ दिया गया है
छ. क्या अभियुक्त धारा 170 के अधीन अभिरक्षा में भेजा जा चुका है?

विवेचक द्वारा पुलिस रिपोर्ट की सूचना शिकायतकर्ता को भी दी जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यदि पुलिस विवेचना से संतुष्ट नहीं होता है तो वह थाना प्रभारी या विवेचक को यह निर्देश दे सकता है कि वह आगे और विवेचना करे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आगे की विवेचना करने का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लेने से पहले कर सकता है। पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद भी अगर थाना प्रभारी या विवेचक को ऐसा लगता है कि मामले में और भी सबूत एकत्रित किए जा सकते हैं तो वह आगे भी विवेचना कर सकता है।

चौथा अध्याय

गिरफ्तारी

ARREST

पुलिस को किसी अपराधिक मामले में व्यक्ति को गिरफ़्तार करने का अधिकार प्राप्त है। पुलिस अदालत के वारंट के बिना भी गिरफ़्तार कर सकती है। इस सम्बंध में दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान किया गया है।

धारा 41 - पुलिस बिना वारंट के गिरफ़्तारी कब कर सकेगी

पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के किसी भी व्यक्ति को निम्न परिस्थितियों में गिरफ्तार कर सकता है-

- जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के सामने संज्ञेय अपराध करता है
- जब व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो चुकी हो और पुलिस अधिकारी को विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो कि उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसमें सात साल से अधिक की सजा या मृत्युदंड का प्रावधान है
- जब कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा घोषित अपराधी हो
- जब कोई व्यक्ति चोरी किए गए सामान के साथ पकड़ा जाता है
- जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी को उसके कानूनी कार्य में बाधा पहुँचाता है
- जब कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा से भागने का प्रयास करता है या भाग जाता है
- जब कोई व्यक्ति पुलिस के सामने किसी तरह का असंज्ञेय अपराध करता है या कर चुका है और वह पुलिस अधिकारी को अपना नाम और पता बताने से इंकार करता है या पुलिस अधिकारी को लगता है कि अभियुक्त अपना नाम और पता ग़लत बता रहा है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस तब तक के लिए गिरफ़्तार कर सकती है जब तक कि उसका नाम और पता सुनिश्चित न हो जाए
- अगर किसी मजिस्ट्रेट के सामने कोई व्यक्ति अपराध करता है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को गिरफ़्तार कर सकता है या गिरफ़्तार करने का आदेश दे सकता है

सात साल तक सजा वाले अपराधों में गिरफ़्तारी का प्रावधान

ऐसे अपराध, जो संज्ञेय तो हैं लेकिन जिनमें जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के अधिकतम सजा सात साल तक है, में मनमानी गिरफ़्तारी पर रोक लगाने के लिए दंड प्रकिया संहिता में 2010 में संशोधन किया गया। अब ऐसे अपराधों में जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है तो पुलिस अधिकारी अभियुक्त को तत्काल गिरफ़्तार नहीं कर सकता। अब पुलिस अधिकारी ऐसे अपराधों में तभी गिरफ़्तार कर सकता है जब निम्न शर्तें पूरी होती हों-

1. शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने या संदेह करने का आधार मौजूद हो कि अभियुक्त ने अपराध किया है
2. जब पुलिस अधिकारी को लगता है कि यदि अभियुक्त को गिरफ़्तार नहीं किया गया तो वह आगे और भी अपराध कर सकता है
3. जब पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि उचित विवेचना के लिए अभियुक्त का गिरफ़्तार किया जाना आवश्यक है
4. जब पुलिस को ऐसा लगता है कि अगर गिरफ़्तारी नहीं की गई तो अभियुक्त अपराध के साक्ष्यों को मिटा सकता है या छेड़छाड़ कर सकता है
5. अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि गिरफ़्तारी नहीं की गई तो अभियुक्त गवाहों को प्रलोभन, धमकी या किसी तरह से प्रभावित कर सकता है
6. अगर पुलिस को ऐसे लगता है कि गिरफ़्तारी नहीं की गई तो अभियुक्त को अदालत के समक्ष पेश नहीं किया जा सकेगा।

पुलिस अधिकारी गिरफ़्तारी के कारणों को बिना दर्ज किए किसी भी व्यक्ति को गिरफ़्तार नहीं कर सकता है। ऐसे अपराधिक मामलों में जिनमें अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है उन मामलों में पुलिस अधिकारी अभियुक्त को उसके समक्ष प्रस्तुत होने के लिए नोटिस जारी करेगा। अभियुक्त के लिए यह ज़रूरी होगा कि वह नोटिस की शर्तों का पालन करे। अगर अभियुक्त नोटिस की शर्तों का उल्लंघन करता है तो पुलिस अधिकारी उसकी गिरफ़्तारी कर सकता है।

गिरफ़्तारी की प्रकिया (धारा 41 ख)

प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ़्तारी के दौरान-

1. अपने नाम की सही, दृश्यमान और स्पष्ट पहचान लगाएगा जिससे उसकी

सहज पहचान हो सके

2. गिरफ़्तारी का प्रपत्र तैयार करेगा जो कि कम से कम एक साक्षी द्वारा प्रमाणित होगा
3. गिरफ़्तारी का प्रपत्र गिरफ़्तारी वाले स्थान पर तैयार कराया जाएगा और उस प्रपत्र पर उसके परिवार के एक सदस्य का या मोहल्ले के किसी सम्मानित सदस्य का हस्ताक्षर कराया जाएगा।

जनपद में नियंत्रण-कक्ष

प्रत्येक जनपद में एक नियंत्रण कक्ष होता है जिसके बाहर गिरफ़्तार किए गए व्यक्ति का नाम, पता और गिरफ़्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम और पदनाम सूचना-पट पर प्रदर्शित होता है।

गिरफ़्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने अधिवक्ता से मिलने का अधिकार (धारा 41 घ)

जब किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को अपने मनपसंद के अधिवक्ता से पूछताछ के दौरान मिलने का अधिकार होता है। यह अधिकार पूछताछ की पूरी प्रक्रिया के लिए नहीं होता है बल्कि कुछ समय के लिए होता है।

गिरफ़्तारी कैसे की जाए (धारा 46)

पुलिस अधिकारी गिरफ़्तार किए जाने वाले व्यक्ति को वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा जब तक कि वह व्यक्ति वचन या कर्म से स्वयं को समर्पित न कर दे। अगर कोई व्यक्ति गिरफ़्तारी का विरोध करता है तो पुलिस अधिकारी आवश्यक बलप्रयोग कर सकता है। गिरफ़्तारी के दौरान पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं कर सकता है।

साधारण परिस्थितियों में किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता है। असाधारण परिस्थितियों में महिला पुलिस अधिकारी न्यायायिक मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त कर किसी स्त्री को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ़्तार कर सकती है। गिरफ़्तार व्यक्ति को उस सीमा से ज़्यादा अवरुद्ध नहीं किया जाएगा जितना कि उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक हो।

गिरफ़्तार व्यक्ति की तलाशी

जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की गिरफ़्तारी करता है तो वह गिरफ़्तार व्यक्ति की तलाशी ले सकता है। तलाशी के दौरान पुलिस अधिकारी गिरफ़्तार व्यक्ति के पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर सभी वस्तुओं को ज़ब्त कर सकता है। जब पुलिस अधिकारी तलाशी के बाद व्यक्ति से बरामद किसी वस्तु को ज़ब्त करता है तो वह उस व्यक्ति को ज़ब्त वस्तुओं की रसीद देगा। किसी भी गिरफ़्तार स्त्री की तलाशी स्त्री महिला अधिकारी ही ले सकती है। यदि किसी व्यक्ति के पास से कोई हथियार बरामद होता है तो पुलिस अधिकारी उस हथियार को ज़ब्त कर न्यायालय के समक्ष पेश करेगा।

पुलिस अधिकारी की मांग पर गिरफ़्तार व्यक्ति की चिकित्सीय जाँच (धारा 53)

यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध में गिरफ़्तार किया गया हो जिसमें उसकी चिकित्सीय परीक्षा करने से अपराध के बारे में साक्ष्य मिल सकता है तो पुलिस अधिकारी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से गिरफ़्तार व्यक्ति की जाँच करा सकता है। किसी महिला की शारीरिक परीक्षा किसी महिला डाक्टर से ही कराई जा सकती है।

धारा 53 (क)

जब किसी व्यक्ति को बलात्कार करने या बलात्कार का प्रयास करने के अपराध में गिरफ़्तार किया जाता है और पुलिस अधिकारी को यह विश्वास हो कि ऐसे व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा करने से अपराध के बारे में साक्ष्य मिल सकता है तो पुलिस अधिकारी सरकारी अस्पताल में गिरफ़्तार व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा करवाएगा।

चिकित्सा अधिकारी जाँच के बाद अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें सम्मिलित करेगा–

1. अभियुक्त का नाम और पता
2. अभियुक्त को अस्पताल लाने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम
3. अभियुक्त की आयु
4. अभियुक्त के शरीर पर चोट के निशान

5. डी.एन.ए. प्रोफाइल के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री
6. अन्य ब्यौरे जो आवश्यक हों
7. रिपोर्ट में चिकित्साधिकारी संक्षेप में अपना निष्कर्ष लिखेगा।

धारा 54

गिरफ़्तारी के तत्काल बाद पुलिस अधिकारी गिरफ़्तार व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा सरकारी अस्पताल में कराएगा। चिकित्सक अभियुक्त की चिकित्सीय परीक्षा की रिपोर्ट में उन चोटों या हिंसा के चिन्हों का ज़िक्र करेगा जो उसके शरीर पर होंगी। चिकित्सीय परीक्षा के बाद अभियुक्त अगर जाँच रिपोर्ट की मांग करता है तो वह रिपोर्ट अभियुक्त को दी जाएगी।

गिरफ़्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा की ज़िम्मेदारी (धारा 55 क)

गिरफ़्तार करने वाले पुलिस अधिकारी की यह ज़िम्मेदारी होती है कि वह गिरफ़्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य की उचित देखभाल करे और उसे सुरक्षा प्रदान करे।

गिरफ़्तार व्यक्ति की शिनाख़्त (धारा 54 क)

गिरफ़्तार व्यक्ति की शिनाख़्त या पहचान अन्य व्यक्तियों से कराई जाती है। गिरफ़्तार व्यक्ति की पहचान पुलिस अधिकारी द्वारा तब कराई जाती है जब शिनाख़्त करना विवेचना के लिए आवश्यक हो। शिनाख़्त कराने के लिए पुलिस अधिकारी को पहले न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ती है।

गिरफ़्तारियों की रिपोर्ट करना (धारा 58)

जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ़्तार करता है तब वह तत्काल ज़िलाधिकारी को या उपज़िलाधिकारी को गिरफ़्तारी की सूचना देता है।

पुलिस अधिकारी गिरफ़्तार व्यक्ति को उस अपराध, जिसके लिए उसे गिरफ़्तार किया गया है, के बारे में अवगत कराएगा। पुलिस अधिकारी अभियुक्त को उसकी गिरफ़्तारी के आधारों के बारे में सूचना देगा। पुलिस अधिकारी गिरफ़्तार व्यक्ति को ज़मानत के अधिकार के बारे में सूचित करेगा।

पाँचवां अध्याय

ज़मानत और बंध-पत्र

BAIL

ज़मानतीय अपराध

ज़मानतीय अपराध वह अपराध होते हैं जिन्हें दंड प्रकिया संहिता की प्रथम अनुसूची में या किसी अन्य विधि में ज़मानतीय अपराधों के रूप में दिखाया गया है। ज़मानतीय अपराध कम गंभीर प्रकृति के होते है। धमकी, जारकर्म, मानहानि, अपमान करना, लेखा का मिथ्याकरण, कूटरचना, गृह अतिचार जैसे अपराध ज़मानतीय अपराधों की श्रेणी में रखे गए हैं।

गैरज़मानतीय अपराध

ज़मानतीय अपराधों से भिन्न जो अपराधों की श्रेणी होती है वह गैरज़मानतीय अपराध होते है। गैरज़मानतीय अपराधों की श्रेणी में हत्या, बलात्कार, अपहरण, छल, चोरी, डकैती गंभीर रूप से घायल करना, अंगभंग करना जैसे अपराध आते हैं।

ज़मानत के लिए आवेदन सर्वप्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। जब अभियुक्त को पुलिस गिरफ़्तार करके न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है तब अभियुक्त ज़मानत के लिए आवेदन दे सकता है। अभियुक्त न्यायालय के समक्ष स्वयं हाज़िर होकर भी ज़मानत के लिए आवेदन कर सकता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा ज़मानत से इंकार किए जाने पर अभियुक्त सेशन न्यायालय में ज़मानत की अर्जी पेश कर सकता है। अगर सेशन न्यायालय भी ज़मानत देने से इंकार कर देता है तो अभियुक्त उच्च न्यायालय में ज़मानत की अर्ज़ी लगा सकता है। ज़मानत मंजूर करते समय अदालत अभियुक्त से प्रतिभुओं सहित बंध-पत्र निष्पादित करवाती है। बंध-पत्र की राशि ज़मानत मंजूर करने वाली अदालत द्वारा तय की जाती है। बंध-पत्र और प्रतिभुओं के माध्यम से अभियुक्त अपने आप को न्यायालय के समक्ष निर्धारित तिथियों को पेश होने के लिए आबद्ध करता है।

किन अपराधों में ज़मानत ली जाएगी (धारा 436)

ज़मानतीय अपराधों के मामले में जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार करके न्यायालय के सामने हाज़िर करता है या अभियुक्त स्वयं न्यायालय के समक्ष हाज़िर होता है और अभियुक्त ज़मानत देने को तैयार है तब न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति को ज़मानत पर छोड़ दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति निर्धन है और ज़मानत देने में असमर्थ है तो न्यायालय अगर उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति से ज़मानत लेने के बजाय हाज़िरी के लिए केवल बंध-पत्र निष्पादित करवाकर छोड़ सकती है।

ज़मानतीय अपराधों में यदि कोई व्यक्ति अपनी गिरफ़्तारी की तारीख़ से एक सप्ताह के भीतर ज़मानत देने में असमर्थ है तो ऐसे व्यक्ति के बारे में न्यायालय धारणा बना सकती है कि वह निर्धन है। अगर कोई व्यक्ति ज़मानत की शर्तों के अनुसार न्यायालय के समक्ष नियत तिथि और समय पर हाज़िर नहीं होता है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति की ज़मानत निरस्त कर सकती है।

अज़मानतीय अपराधों में ज़मानत कब ली जा सकती है (धारा 437)

जब किसी व्यक्ति, जिसके ऊपर अज़मानतीय अपराध का आरोप है या जिस पर संदेह है कि उसने अज़मानतीय अपराध किया है, को जब अदालत के समक्ष पुलिस द्वारा पेश किया जाता है या स्वयं हाज़िर होता है तब वह ज़मानत पर छोड़ा जा सकता है। अगर यह विश्वास करने का उचित आधार मौजूद है कि अभियुक्त मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है तो अभियुक्त को ज़मानत पर अदालत द्वारा नहीं छोड़ा जाएगा। अगर अभियुक्त पहले से ही मृत्यु, आजीवन कारावास, सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध है तो अदालत द्वारा ज़मानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध में दो या अधिक बार दोषी सिद्ध है तो ऐसे व्यक्ति को ज़मानत पर नहीं छोड़ा जाएगा लेकिन अगर कोई व्यक्ति 16 साल से कम का है या कोई महिला, रोगी, विकलांग है या न्यायालय किसी अन्य विशेष कारण से न्यायोचित समझता है तो वह ज़मानत पर छोड़ सकता है।

अग्रिम ज़मानत (धारा 438)

अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय में लगाई जाती है। अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी तब दाख़िल की जाती है जब किसी अज़मानतीय मामले में गिरफ़्तारी की आशंका हो। न्यायालय तत्काल आवेदन स्वीकार कर सकता है या अग्रिम ज़मानत मंजूर करने के लिए अंतरिम आदेश दे सकता है। जब न्यायालय द्वारा अग्रिम ज़मानत हेतु अंतरिम आदेश दिया जाता है तब सात दिनों के अन्दर सरकारी वकील को सुनवाई का अवसर प्रदान करके नियत तिथि पर अग्रिम ज़मानत पर अंतिम सुनवाई की जाती है।

अग्रिम ज़मानत का आदेश देने के लिए न्यायालय किन बातों का ध्यान रखेगी

- अपराध की गंभीरता
- क्या आवेदक किसी अन्य संज्ञेय मामले में दोषसिद्ध रह चुका है?
- न्याय से आवेदक के भागने की संभावना
- क्या आवेदक को अपमानित करने या क्षति पहुँचाने की दृष्टि से मुक़दमा पंजीकृत कराया गया है?

ज़मानत के बारे में उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय की शक्तियाँ (धारा 439)

निचली अदालत द्वारा ज़मानत से इंकार किए जाने के बाद सेशन न्यायालय में ज़मानत के लिए आवेदन किया जाता है। सेशन न्यायालय से ज़मानत इंकार होने पर उच्च न्यायालय में ज़मानत के लिए आवेदन किया जाता है। सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय में ज़मानत का आवेदन दाख़िल करने से पहले सरकारी वकील को आवेदन की सूचना देनी पड़ती है। उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह किसी ऐसे अभियुक्त की, जिसकी ज़मानत मंजूर की गई है, न्यायहित में ज़मानत निरस्त कर दे। उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा लागू की ज़मानत की शर्तों को बदल सकते हैं।

बंध-पत्र (धारा 440-441)

बंध-पत्र की राशि ज़मानत देते समय अदालत द्वारा मामले की परिस्थितयों को देखते हुए तय की जाती है। बंध-पत्र अभियुक्त द्वारा अदालत के समक्ष निष्पादित वह दस्तावेज होता है जिसके तहत अभियुक्त अपने आप को न्यायालय से आबद्ध करता है कि अदालत द्वारा समय-समय पर तय की गई तारीख़ों पर हाज़िर होता रहेगा और यदि वह हाज़िर नहीं होता है तो बंध-पत्र में तय की गई राशि ज़ब्त कर ली जाए।

जब न्यायालय किसी अभियुक्त को ज़मानत पर छोड़ती है तो उस व्यक्ति से एक निश्चित राशि का बंध-पत्र (प्रतिभू सहित) इस शर्त के साथ निष्पादित करवाती है कि अभियुक्त बंध-पत्र में वर्णित समय और स्थान पर हाज़िर होता रहेगा। बंध-पत्र के साथ अदालत एक या एक से अधिक निश्चित राशि की प्रतिभू भी निष्पादित करवाती है। प्रतिभू किसी व्यक्ति द्वारा बंध-पत्र के समर्थन में निष्पादित वह दस्तावेज होता है जिसमें प्रतिभू देने वाला व्यक्ति इस बात की गारंटी लेता है कि अभियुक्त न्यायालय के समक्ष बंध-पत्र की शर्तों का अनुपालन करेगा और यदि वह बंध-पत्र की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी राशि ज़ब्त कर ली जाए।

छठा अध्याय

पुलिस उत्पीड़न के ख़िलाफ़ उपचार

फ़र्ज़ी मुक़दमा दर्ज होने पर

सामाजिक, राजनीतिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को कई बार अपने काम के दौरान झूठे मुक़दमों का सामना करना पड़ता है। उनके ख़िलाफ़ बड़े पुलिस-तंत्र का दुरुपयोग करके दमनात्मक कार्रवाई के मामले सामने आते रहे हैं।

फ़र्ज़ी मुक़दमा दर्ज होने की स्थिति में सबसे पहले कोशिश करके थाने से या अदालत से एफ़आईआर की कॉपी प्राप्त करें। एफ़आईआर में निम्न चीज़ों पर ख़ास ध्यान दें-

- एफ़आईआर में कौन-कौन सी धाराएँ लगाई गई हैं
- धाराएँ कितनी गंभीर हैं
- उन धाराओं में अधिकतम या न्यूनतम कितनी सज़ा हो सकती है
- मुक़दमा किस व्यक्ति ने दर्ज कराया है?

उसके बाद घटना और आरोपों के बारे में लिखित प्रार्थना-पत्र तैयार कर पुलिस अधीक्षक और उसके ऊपर के अधिकारियों से घटना की निष्पक्ष जाँच की मांग करें। उच्च अधिकारियों से अगर आपके सहयोगी मिलें और उन्हें घटना और आरोपों के बारे में विस्तार से बताएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। कई मामलों में इस तरह की पैरवी कारगर साबित हुई है।

जहाँ यह महसूस हो कि पुलिस प्रशासन हर हालत में आपको जेल भेजने पर अमादा है उस स्थिति में आप अग्रिम ज़मानत के लिए अदालत में अर्ज़ी लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश को छोड़कर हर राज्य में अग्रिम ज़मानत पाने का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में अग्रिम ज़मानत का कानून लागू नहीं है। यहाँ पर पीड़ित को गिरफ़्तारी पर रोक लगवाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दाख़िल करनी पड़ती है।

धाराएँ ज़्यादा गंभीर होने पर, यानी जिन धाराओं में सात साल से अधिक सज़ा का प्रावधान होता है उसमें, पुलिस तत्काल गिरफ़्तार कर सकती है। अगर पुलिस तत्काल गिरफ़्तार कर लेती है तो ज़मानत कराने के आलावा कोई विकल्प नहीं होता है।

अवैध हिरासत

अवैध हिरासत उसको कहते हैं जब पुलिस बिना किसी वैधानिक कारण के किसी व्यक्ति को हिरासत में रखकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती है। इस तरह की घटनाएँ आम तौर पर पिछड़े इलाक़ों में, ख़ासतौर से आदिवासी क्षेत्रों में, ज़्यादा दिखाई देती हैं। अवैध हिरासत को लेकर क़ानून काफी सख़्त है। क़ानून इसे पूरी तरह से अवैधानिक और मूल अधिकारों पर हमला मानता है। अवैध पुलिस हिरासत और प्रताड़ना पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। अवैध हिरासत और उत्पीड़न के ख़िलाफ़ तत्काल उच्च अधिकारियों को लिखित सूचना देनी चाहिए। ऐसे मामलों में राहत के लिए उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल की जा सकती है। अवैध हिरासत और उत्पीड़न के मामलों में उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को पीड़ित की तत्काल रिहाई और मुआवज़ा देने का आदेश देने का अधिकार प्राप्त है।

पुलिस हिरासत में मौत

डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (ए.आई.आर. 1997) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि *'विधि द्वारा संचालित एक सभ्य समाज में पुलिस हिरासत में मौत सबसे घृणित अपराधों में से एक है। कोई भी सभ्य समाज यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिस पुलिस को क़ानूनन नागरिकों की सुरक्षा के लिए अधिकार दिए गए हैं वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके किसी की हत्या कर दे।'*

नीलाबती बेहरा (ए.आई.आर.1993 सु.को. 1960) के मामले में पुलिस ने उड़ीसा के एक आदिवासी युवक सुमन बेहरा की हत्या करके रात में शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था और सुबह यह अफ़वाह उड़ा दी थी कि सुमन बेहरा रात में पुलिस हिरासत से भाग गया था और फिर किसी वजह से ट्रेन से टकराकर मर गया। इस पर सुमन बेहरा की माँ नीलाबती बेहरा ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर सुमन बेहरा की मौत की जाँच कराने और मुआवज़े की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने नीलाबती बेहरा के पत्र को याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए ज़िला जज को जाँच के आदेश दिए। ज़िला जज ने जाँच में पाया कि पुलिस ने सुमन बेहरा की हत्या करके उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर फेंक दी थी।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ज़िला जज की जाँच को स्वीकार करते हुए उड़ीसा राज्य को दोषी पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ कार्यवाही करने और नीलावती बेहरा को मुआवज़ा देने का आदेश दिया।

परिशान्ति क़ायम रखने और सदाचार के लिए प्रतिभूति

दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 में ऐसे व्यक्तियों से, जिनसे लोक व्यवस्था भंग होने की आशंका रहती है, परिशान्ति कायम रखने और सदाचार के लिए बंध-पत्र निष्पादित कराए जाने का प्रावधान किया गया है।

लेकिन इन धाराओं के तहत की जाने वाली कार्यवाही का पुलिस और कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा मनमाने ढंग से उपयोग किया जाता है जिसके चलते निर्दोष और दोषी दोनों तरह के व्यक्तियों से परिशान्ति कायम रखने के लिए और सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंध-पत्र निष्पादित करवा लिया जाता है। व्यवहारिक रूप में यह देखने में आया है कि पुलिस जिस व्यक्ति के ऊपर परशान्ति क़ायम रखने और सदाचार के लिए प्रतिभू का मुक़दमा चलाना चाहती है उसके ख़िलाफ़ बिना किसी जाँच पड़ताल के शांति भंग की आशंका की एक रिपोर्ट बनाकर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कार्यवाही के लिए प्रेषित कर देती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी बिना पुलिस की रिपोर्ट देखे उस रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के ख़िलाफ़ नोटिस भेज देता है। उसके बाद पुलिस उस व्यक्ति को पकड़कर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाज़िर करती है। फिर उस व्यक्ति को तब तक हवालात में रहना पड़ता है जब तक वह ज़मानत न करा ले। पुलिस और मजिस्ट्रेट की इस तरह की कार्यशैली से निर्दोष और दोषी दोनों दण्डित हो जाते हैं।

जबकि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 में इस तरह के मामलों के लिए पूरी विधिक प्रक्रिया दी गई है ताकि किसी निर्दोष का उत्पीड़न न हो सके और दोषी व्यक्ति बच न सके। परिशान्ति क़ायम रखने और सदाचार के लिए प्रतिभू के मामले में धारा 107 और धारा 116 महत्वपूर्ण है।

धारा 107- अन्य दशाओं में परिशान्ति क़ायम रखने के लिए प्रतिभूति

इस धारा के तहत कार्यवाही हेतु सूचना कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दी जाती है। इस धारा के तहत कार्यवाही तब होती है जब कोई व्यक्ति परिशान्ति भंग करता

है या कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि लोक शांति भंग हो सकती है। सूचना प्राप्त होने के पश्चात् यदि मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त आधार होते हैं तो उक्त मजिस्ट्रेट एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए बंध-पत्र निष्पादित करने के लिए अभियुक्त को नोटिस भेजता है।

धारा 111 - मजिस्ट्रेट नोटिस में निम्नलिखित बातों को शामिल करेगा

1. सूचना का सार
2. बंध-पत्र की राशि
3. बंध-पत्र की अवधि
4. प्रतिभुओं की संख्या, प्रकार और वर्ग

धारा 112

यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 107 के तहत कार्यवाही की गई है और वह मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित है तो उसे नोटिस का सार समझाया जाएगा।

धारा 113

यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट समन भेजेगा और यदि मजिस्ट्रेट को ऐसी आशंका लगती है कि तुरंत बिना गिरफ़्तारी के परिशान्ति क़ायम नहीं की जा सकती तब वह वारंट जारी करेगा।

धारा 114

समन या वारंट के साथ मजिस्ट्रेट आदेश की प्रति भी अभियुक्त को भेजेगा।

धारा 115

यदि मजिस्ट्रेट उचित समझता है तो वह अभियुक्त को व्यक्तिगत हाज़िरी से अभिमुक्त कर सकता है और अधिवक्ता के माध्यम से हाज़िर होने की अनुज्ञा दे सकता है।

धारा 116 - सूचना की सच्चाई के बारे में जाँच

जब कोई व्यक्ति धारा 107 के अधीन की गई कार्यवाही के बाद न्यायालय में उपस्थित होता है या गिरफ़्तार करके लाया जाता है तब मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त सूचना की सच्चाई के बारे में जाँच की जाती है। जाँच प्रारंभ होने के बाद और जाँच समाप्त होने के पहले यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि परिशान्ति भंग को तत्काल रोकने के लिए अभियुक्त से जाँच समाप्ति तक परिशान्ति क़ायम रखने के लिए और सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंध-पत्र निष्पादित करवाना आवश्यक है तो वह ऐसे कारणों को लेखनबद्ध करते हुए प्रतिभुओं सहित या रहित बंध-पत्र निष्पादित करवाएगा।

इस धारा के अधीन जाँच उसके आरम्भ होने की तारीख से छः मास की अवधि के अन्दर पूरी की जाएगी। यदि जाँच से यह साबित हो जाता है कि परिशान्ति क़ायम रखने के लिए और सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंध-पत्र निष्पादित करवाना आवश्यक है तब मजिस्ट्रेट प्रतिभुओं सहित या रहित बंध-पत्र निष्पादित करवाने का आदेश देगा।

सातवां अध्याय

अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों की सुरक्षा एवं अधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह से समाप्त किए जाने के बावजूद सामाजिक स्तर पर दलित समुदाय के लोगों के साथ जातीय भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाएँ नहीं रुकीं। सामाजिक जीवन में दलितों के उत्पीड़न पर रोक लगाने, उन्हें समानता का अधिकार दिलाने और समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ऐसे कठोर और प्रभावी क़ानून बनाने पर बल दिया गया जिससे दलितों पर अत्याचार करने वालों के अन्दर दण्ड का भय पैदा हो सके और दलित अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसी दिशा में संसद ने दो महत्वपूर्ण क़ानून अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 पास किए जिसके तहत दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाओं को चिन्हित करते हुए उसे अपराध की विविध श्रेणियों में बाँटा और उन्हें दंडनीय अपराध घोषित किया गया। साथ ही उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति के राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की। जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ इन क़ानूनों का लाभ भी अब दलित जाति के व्यक्तियों को मिल रहा है।

अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान

अनु.जा./अनु.ज.जा. के सदस्यों को जातीय उत्पीड़न से बचाने तथा उत्पीड़न के शिकार सदस्यों के लिए न्याय की गारंटी करने के लिए यह क़ानून पारित किया गया है। अनुचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में अत्याचार को परिभाषित करते हुए इसे दण्डनीय अपराध बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत 22 अपराधों जैसे कि अनु.जा./अनु.ज.जा. के सदस्यों को जातिसूचक शब्दों में गाली देना, आर्थिक लोकतांत्रिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित करना, भेदभाव, शोषण और क़ानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग इत्यादि को सूचीबद्ध किया गया है।

इस अधिनियम के तहत संज्ञान लेने के लिए आवश्यक है कि उत्पीड़ित व्यक्ति अनु.जा./अनु.ज.जा. का सदस्य होना चाहिए और अभियुक्त अनु.जा./

अनु.ज.जा से भिन्न जाति का होना चाहिए। इस अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों को संज्ञेय और ग़ैरज़मानतीय बनाया गया है। अपराधों की विवेचना उप-पुलिस अधीक्षक द्वारा 30 दिनों के भीतर की जाएगी। अपराधों के विचारण और त्वरित न्याय के लिए विशेष अदालतों का गठन किया गया है। इस अधिनियम के तहत दण्ड के अलावा अत्याचार के शिकार व्यक्ति को निर्धारित पैमाने के अनुसार ग्रेडबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान देने के लिए प्रावधान किया गया है। अनु.जा./अनु.ज.जा. नियम 1995 के नियम 12(4) के तहत राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की गई है।

अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955

अस्पृश्यता पर रोक लगाने के लिए इस क़ानून को संसद द्वारा पारित किया गया। इसके तहत अस्पृश्यता को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया। इस क़ानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें 1976 में महत्वपूर्ण संशोधन करके इसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का नाम दिया गया। इस अधिनियम के तहत अस्पृश्यों को हिन्दू धर्म की अन्य जातियों के बराबर का दर्जा दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर सार्वजानिक स्थान पर जाने से रोकता है या उसके उपभोग पर रोक लगाता है तब ऐसे व्यक्ति के लिए 6 महीने का कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक 2015

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक 2015 लाया गया। 31 दिसंबर 2015 को इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिली थी जिसके बाद 1 जनवरी 2016 को इसे अधिसूचित कर दिया गया। हालाँकि, इस नये अधिनियम को अस्तित्व में आने में 25 दिन लग गए। पुराने नियमों को बदलकर संशोधित नियमों में सरकार को सक्षम होने के लिए 25 दिन लगे और 26 जनवरी 2016 को यह अधिनियम पूरी तरह से लागू हो गया। मामलों का पंजीकरण न होना, जाँच, गिरफ़्तारी और आरोप-पत्र दाख़िल करने में देरी और सज़ा दर में कमी पुराने अधिनियम की कुछ मुख्य बाधाएँ थीं।

संशोधित अधिनियम में विशेष सरकारी वकीलों और विशेष अदालतों की स्थापना के लिए कहा गया है जिससे मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके। हालांकि, संशोधन को एक वर्ष पूरा हो जाने के बाद भी अभी तक देश के 22 राज्यों में विशेष अदालतों का गठन नहीं हुआ है। विशेष अदालतों को अपराधों का संज्ञान लेने और आरोप-पत्र दाख़िल करने की तारीख़ से दो महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का अधिकार है। इन विशेष अदालतों का गठन ज़िला स्तर पर किया जाना है। इसके फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है जिसकी सुनवाई भी दो महीने के अंदर कर लेनी होगी। पुलिस को केस दर्ज होने के 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाख़िल करनी होगी, देरी होने पर जाँच अधिकारियों को लिखित रूप से देरी के कारण का जवाब देना होगा।

संशोधित अधिनियम में 'पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों' पर भी एक अध्याय है जिसमें यह राज्य का कर्तव्य और ज़िम्मेदारी है कि वह पीड़ितों, उनके आश्रितों और गवाहों को किसी भी तरह की हिंसा, धमकी, प्रलोभन आदि से सुरक्षा दे। संशोधित अधिनियम ने पीड़ितों और उनके आश्रितों को ज़मानत की कार्यवाही सहित अदालत की कार्यवाही की उचित और समय पर जानकारी का पूरा अधिकार दिया है और विशेष सरकारी वकील व राज्य सरकार इन सभी कार्यवाहियों की जानकारी देने के लिए बाध्य हैं। अदालतों की कार्यवाही में पीड़ितों को भी अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है।

संशोधित अधिनियम में पुराने अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करते हुए कुछ नये अपराध भी जोड़े गए हैं, जैसे- किसी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अन्य किसी सार्वजनिक जगह पर जाने से रोकना, सार्वजनिक उपयोग के लिए रखे बर्तनों का उपयोग न करने देना, लिखित व बोले गए शब्दों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के प्रति घृणा या दुर्भावना को बढ़ावा देना और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को बहिष्कार की धमकी देना, सिंचाई के साधन का उपयोग करने से रोकना, वनाधिकार को रोकना, सामाजिक व आर्थिक रूप से बहिष्कृत करना, चुनाव में भाग लेने से रोकना, घर/गाँव के बाहर रहने पर मजबूर करना, महिलाओं के प्रति लिंगभेदी शब्दों का प्रयोग करना, उन्हें घूरना और पीछा करना सहित कई अपराध शामिल किए गए हैं। ऐसी कोई भी गतिविधि जो दलित की गरिमा

के ख़िलाफ़ और अपमानजनक हो, जैसे-सिर या मूँछ मुंडवाना, जूते-चप्पल की माला पहनाना, दलित महिलाओं को मंदिरों में देवदासी बनाना या इसी तरह की अन्य गतिविधि आदि को नये क़ानून में अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। गैंगरेप, हत्या और एसिड अटैक के शिकार दलित समुदाय के लोगों को 8.5 लाख रुपये के मुआवज़े का प्रावधान है। वहीं बलात्कार की शिकार महिला को 5 लाख रुपये के मुआवज़े का प्रावधान है। पुराने क़ानून में 22 ऐसे अपराधों की सूची थी जिनमें 60 हज़ार से लेकर 5 लाख रुपये के मुआवज़े का प्रावधान था, जबकि नये क़ानून में 47 अपराधों की सूची है जिनमें एक लाख रुपये से 8.5 लाख रुपये के मुआवज़े का प्रावधान है।

पहले इस क़ानून में भारतीय दण्ड संहिता की उन्हीं धाराओं को शामिल किया गया था जिनमें 10 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा का प्रावधान था, लेकिन नये संशोधन में ऐसे अपराधों को भी शामिल किया गया है जिनमें 10 वर्ष से कम की सज़ा का प्रावधान है, जैसे- गंभीर रूप से चोट पहुँचाना, अपहरण आदि।

आठवां अध्याय

बंदियों के अधिकार

विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार

जब पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार किया जाता है तो उक्त व्यक्ति को अपने विधिक सलाहकार से परामर्श का अधिकार होता है। यदि अभियुक्त विवेचना या विचारण के दौरान जेल में निरुद्ध है तो उसे इस दौरान अपने अधिवक्ता से क़ानूनी सलाह लेने का पूरा अधिकार होता है। यदि कोई अभियुक्त निर्धन है और अपने बचाव के लिए न्यायालय में विचारण के दौरान अधिवक्ता नियुक्त करने में असक्षम है तब अदालत द्वारा ऐसे अभियुक्त के बचाव के लिए निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा।

यदि कोई बंदी सजा के आदेश के विरुद्ध अपील या रिविजन करना चाहता है और वह अपना वकील नियुक्त करने में असक्षम है तब राज्य सरकार द्वारा ऐसे बंदी की अपील या रिविजन दाख़िल की जाएगी। बंदी को अदालत के फ़ैसलों की प्रति निःशुल्क दी जाएगी।

बंदियों को प्राप्त सुविधाएँ

- पढ़ने, लिखने, व्यायाम करने, खेलने आदि का अधिकार
- टीवी देखने, रेडिओ सुनने, अख़बार पढ़ने का अधिकार
- धार्मिक क्रियाकलापों का अधिकार
- मित्रों एवं संबंधियों से मिलने का अधिकार

शिकायत निवारण का उपाय

प्रत्येक जेल में एक शिकायत बॉक्स होता है उस बॉक्स में बंदी अपनी शिकायत लिखकर डाल सकता है। सेशन जज इन शिकायतों पर संज्ञान लेगा और शिकायतों का निवारण करेगा। ज़िला और सेशन जज जेल का निरीक्षण कर बंदियों की समस्याओं को सुनेंगे और समस्याओं का निपटारा करेंगे। सेशन जज जेल का निरीक्षण करने के लिए वकीलों को नियुक्त कर सकता है जो निरीक्षण के बाद कार्यवाही हेतु अपनी रिपोर्ट सेशन जज को सौंपते हैं।

स्वास्थ्य का अधिकार

बंदियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की ज़िम्मेदारी जेल अधिकारियों की होती है। समय पर जाँच और उचित इलाज प्राप्त करना बंदियों का अधिकार है। महिलाओं की स्वास्थ्य और सुरक्षा की विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाऐंगी। जेल अधिकारियों को महिला स्वास्थ्य के प्रति सवेंदनशील बनाने का प्रयास किया गया है साथ ही महिला बंदियों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

समयावधि से पहले रिहाई

यदि कोई बंदी इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि उसका जेल में रहना प्राणघातक साबित हो सकता है और जेल अधीक्षक को ऐसा लगता है कि जेल से बाहर उस बंदी की जान बचाई जा सकती है तब जेल अधीक्षक मेडिकल बोर्ड की राय लेने के बाद ऐसे बंदी की रिहाई की अनुशंसा राज्य सरकार को कर सकेगा।

जेल अधीक्षक प्रत्येक वर्ष एक मई को ऐसे बुज़ुर्ग, कमज़ोर और बीमार बंदियों की सूची मेडिकल बोर्ड को जाँच के लिए सौंपेगा जो अब अन्य कोई अपराध करने में सक्षम नहीं रह गए हैं। मेडिकल बोर्ड ऐसे बंदियों की सूची अपनी अनुशंसा के साथ जेल महानिरीक्षक को भेजेगा। जेल महानिरीक्षक ज़िलाधिकारी से अनापत्ति लेने के बाद ऐसे बंदियों की रिहाई के लिए राज्य सरकार को अनुमोदन कर सकता है। जेल अधीक्षक ऐसे बंदियों की रिहाई की अनुशंसा कर सकता है जो कि किसी प्राणघातक बीमारी से ग्रसित हैं और जिसकी मृत्यु अगले तीन महीने के अन्दर होने की संभावना हो।

विचाराधीन बंदियों द्वारा कार्य

किसी विचाराधीन बंदी से जेल के अन्दर कोई कार्य या मज़दूरी नहीं कराया जाएगा जब तक कि बंदी स्वयं कोई कार्य न करना चाहे। विचाराधीन बंदी कोई कार्य जो वह करना चाहे करने के लिए प्रेरित किया जाएगा लेकिन कार्य करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।

नौवां अध्याय

महिला सुरक्षा एवं अधिकार

भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों को चाहे स्त्री हो या पुरुष समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही महिलाओं के साथ लैंगिक आधार पर किसी भी भेदभाव पर रोक लगाता है। फिर भी भारतीय समाज में परंपरागत रूढ़ियों के चलते भारी पैमाने पर महिलाओं के साथ यौन अपराध, घरेलू हिंसा, मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना की घटनाएँ होती हैं भारतीय समाज में विभिन्न सामाजिक आंदोलनों और क़ानूनों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने और समानता का अधिकार दिलाने के लिए प्रयास होते रहे हैं। समय-समय पर क़ानूनों में बदलाव किए गए लेकिन सारे प्रयास महिलाओं को पूरी सुरक्षा देने में असमर्थ रहे। लेकिन 12 दिसम्बर 2012 को दिल्ली में घटे निर्भया कांड ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बने क़ानूनों के बारे में पुनर्विचार करने पर राष्ट्र को मजबूर किया। इस घटना के बाद उभरे व्यापक महिला आंदोलनों की वजह से सरकार ने जस्टिस जे.एस. वर्मा कमिटी का गठन किया जिसने व्यापक अध्ययन और तमाम महिला संगठनों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए बलात्कार और यौन उत्पीड़न को नए सिरे से परिभाषित किया और क़ानूनों में व्यापक बदलाव की सिफ़ारिशें कीं।

यौन हमला

जस्टिस जे.एस. वर्मा कमिटी की रिपोर्ट के बाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 में बलात्कार शब्द को हटाकर उसकी जगह यौन हमला शब्द को जोड़ा गया है जिसमें बलात्कार सहित ऐसे तमाम अपराधों को भी शामिल किया गया जो बलात्कार की तरह ही गंभीर अपराध थे लेकिन जिनके लिए अभी तक दण्ड का प्रावधान नहीं था। जस्टिस जे.एस. वर्मा कमिटी की सिफारिशों के बाद यौन हमला क़ानूनों में व्यापक बदलाव किए गए जिसके कुछ बिंदु निम्नवत हैं-

बलात्कार के दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा 10 साल और जुर्माना से बढ़ाकर आजीवन कारावास और जुर्माना कर दिया गया है। यदि यौन हिंसा में किसी पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या पीड़िता वर्धी स्थिति (vegetative state)

में चली जाती है तब कम से कम बीस साल का कठोर कारावास या अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है।

यदि कोई पत्नी किसी न्यायालय के आदेश से या किसी परम्परा या प्रथा के तहत अपने पति से अलग रह रही है तब यदि पति बिना पत्नी की सहमति के यौन हिंसा करता है तब ऐसे व्यक्ति के लिए न्यूनतम दो वर्ष और अधिकतम सात वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। गैंग द्वारा यौन हमला के अपराध की न्यूनतम सज़ा 20 वर्ष और अधिकतम सज़ा आजीवन कारावास कर दी गई है।

यदि कोई व्यक्ति जो कि किसी सरकारी संस्थान का अधिकारी है या किसी अस्पताल का प्रबंधक है वह अपने प्राधिकार का या वैश्वासिक रिश्ते का दुरुपयोग करके अपने अधीन किसी महिला कर्मचारी को शारीरिक संबंध के लिए विवश करता है और उस महिला के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम 5 साल के कठोर कारावास और अधिकतम 10 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति यौन अपराध का दोषी रह चुका है और वह दोबारा यौन अपराध करता है तब ऐसे व्यक्ति के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है।

यौन उत्पीड़न - (धारा 354 क)

निम्नलिखित अपराध यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं-

- शारीरिक स्पर्श और अशोभनीय तथा स्पष्ट यौन प्रस्ताव वाली कामोदीप्त चेष्टाएँ
- यौन स्वीकृति की माँग या प्रार्थना
- काम-वासना प्रेरित फब्तियाँ करना
- किसी कामोत्तेजक कार्य-व्यवहार या सामग्री का प्रदर्शन
- यौन संबंधी अशोभनीय शारीरिक, मौखिक और सांकेतिक आचरण

यौन उत्पीड़न के अपराध में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम पाँच वर्ष की सज़ा हो सकती है।

धारा 354 (ख)

यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को निर्वस्त्र करने या सार्वजानिक स्थान पर उसे नग्न करने के उद्देश्य से हमला करता है या बल का प्रयोग करता है तो उस व्यक्ति के लिए न्यूनतम तीन वर्ष और अधिकतम सात साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है।

धारा 354 (घ)

यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का पीछा करता है और बार-बार अनिच्छा व्यक्त करने के बावजूद संपर्क बढ़ाने का प्रयास करता है या इन्टरनेट, ई-मेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगरानी करता है या जासूसी करता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम तीन वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता में हुए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव

- यदि पीड़िता द्वारा यौन अपराध और यौन उत्पीड़न की सूचना थाने में स्वयं दी जाती है तो जहाँ तक संभव हो सके ऐसी सूचना महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी
- पीड़िता को पुलिस अधिकारी द्वारा विधिक सहायता तथा हेल्थ केयर कार्यकर्ता या स्त्रियों के संगठन अथवा दोनों की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी
- यदि पीड़िता यौन अपराध या यौन उत्पीड़न की वजह से स्थायी या अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो गई है तब पुलिस सूचनादाता की माँग पर उसके निवास स्थान पर जाकर या किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर किसी विशेष शिक्षक या अनुवादक की उपस्थिति में सूचना दर्ज करेगी
- यौन अपराध और यौन उत्पीड़न के अपराधों की घटना की विवेचना के दौरान पीड़िता का बयान जहाँ तक संभव हो सके महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा।

***

पैरवी

पब्लिक एडवोकेसी इनीशिएटिव फॉर राईट्स एण्ड वैल्यूज़ इन इण्डिया
ई-46, अपर ग्राउण्ड फ़्लोर, लाजपत नगर-3, नई दिल्ली-110024
दूरभाषः +91-11-29841266, ई-मेलः pairvidelhi1@gmail.com
वैबसाइटः www.pairvi.org | ब्लॉगः pairvi.blogspot.in